मा0 उच्चतम न्यायालय का आदेश/आज ही

संख्या:69/2019/3494जेएल/22-3-19-100(71)/2019

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक पुलिस/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 02 अगस्त, 2019***

विषय: शो-मोटो रिट पिटीशन (क्रि0) संख्या-1/2019 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02-08-2019 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पिटीशन में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02-08-2019 के अनुपालन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार रायबरेली में निरूद्ध सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी महेश सिंह पुत्र स्व0 मंगल सिंह को तिहाड़ जेल, नई दिल्ली में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा सुरक्षा प्रदान की जायेगी। जिला मजिस्ट्रेट, रायबरेली एक मजिस्ट्रेट भी उपलब्ध करायेंगे।

2- कृपया तिहाड़ जेल के संबंधित अधिकारी से समन्वय स्थापित कर उक्त बंदी को आज ही तिहाड़ जेल, नई दिल्ली में स्थानान्तरित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने एवं कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अवनीश कुमार अवस्थी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:69/2019/3494जेएल(1)/22-3-19-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. श्री एस0पी0 सिंह बघेल, एडवोकेट ऑन रिकार्ड, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0।
3. महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, नई दिल्ली को इस आशय से प्रेषित कि कृपया सुरक्षा प्रदान करने का कष्ट करें।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
5. महानिरीक्षक, तिहाड़ जेल, नई दिल्ली।
6. महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, लखनऊ।
7. पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत बंदी को जिला कारागार रायबरेली से तिहाड़ जेल, नई दिल्ली ले जाने हेतु समुचित सुरक्षा प्रदान कराया जाना सुनिश्चित करें।
8. जिला मजिस्ट्रेट, रायबरेली को इस आशय से प्रेषित कि कृपया एक मजिस्ट्रेट प्रदान करने का कष्ट करें।
9. जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव।
10. पुलिस अधीक्षक, रायबरेली/उन्नाव।
11. अधीक्षक, जिला कारागार रायबरेली।
12. गृह (पुलिस) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in